न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2015 – निगरानी

1. श्री सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल मून्दड़ा निवासी कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा –निगराकार	बनाम	1. श्री परमेश्वरलाल पुत्र नंदकिशोर सोनी निवासी कोटडी 2. ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी जिल भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत कोटडी बमामले मिसल संख्या 1/2068 प्रस्ताव सं. 02 पटटा भूखण्ड जारी दिनांक 20.12.2013

उपस्थितिः–

1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री गणेश लाल शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01की ओर से
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – गैर निगराकार सं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 13.05.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य है । प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कोटडी में प्रार्थी का पुश्तैनी नोहरा विद्यमान है जो कि प्रार्थी के पिता ने श्री मोतीलाल पुत्री हजारीलाल मूदंड़ा से बिल एवज 1000/– रूपयें में भूखण्ड क्रय कर प्रार्थी के पिता ने मौके पर पत्थर की चारों ओर दीवार निर्माण करवाकर गेट लगवाये है । उक्त नोहरा जायदाद की वर्तमान चतुर्सीमा क्रमशः पूर्व – राजकुमार सोनी, पश्चिम–श्यामलाल लखारा, देवा तेली, भोलू तेली की जायदाद, उत्तर–आम रास्ता, दक्षिण – भंवरलाल बण्डेला और सत्यनारायण मूंदड़ा की आवासीय जायदाद के मध्य 50 वर्ष से अधिक समय से प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता का निधन हो चुका है एवं प्रार्थी, कृष्णगोपाल, रामराय, ओमप्रकाश, प्रहलादराय, राधेश्याम पुत्र होकर वारिसान है तथा सभी का interest in common होकर यह आवेदन प्रस्तुत किया है । विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 02 के समक्ष दिनांक 06.04.2011 को आवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उसके स्वामित्व

का मकान ग्राम कोटडी के नया नोहरा मोहल्ले में है जिसका पटटा बनवाया जावे और प्रार्थी के आवेदन पर विपक्षी सं. 02 ने मिसल सं. 1/2068 कायम कर प्रार्थी के नोहरे की भूमि में से भूखण्ड साईज 17 फीट, 18.5 फीट गुणित 60 फीट के भू भाग का पटटा विपक्षी सं. 02 ने विपक्षी सं. 2 ने विपक्षी सं. 01 के पक्ष में दिनांक 20.12.2013 को जारी किया है जिसकी चतुर्सीमा क्रमशः पूर्व – रामराय मूंदडा , पश्चिम–श्यामलाल लखारा, उत्तर–आम रास्ता, दक्षिण – भंवरलाल बण्डेला की जायदाद के मध्य बताया गया है । उक्त 60 फीट भू भाग प्रार्थी के नोहरे का भू भाग है परन्तु विपक्षी सं. 02 के सरपंच आदि ने विपक्षी सं. 01 से मिलीभगत, साठगांठ कर प्रार्थी के स्वामित्व की पुश्तैनी जायदाद नोहरा के भू भाग का पटट जारी कर दिया है जो विधि विरूद्व है । विपक्षी ने राजस्थान पंचायती राज नियमों के नियम 148 के अंतर्गत आपत्ति आमंत्रण विधिवत मुश्तहारी नहीं करवाई और पंचायत कार्यालय में बैठकर मिथ्या चस्पानगी रिपोर्ट अंकित कराकर सारी कार्यवाही की है । विपक्षी सं. 01 ने अपने आवेदन के साथ स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 31.01.2014 को प्रस्तुत किया जिसमें उसने स्वयं की आयु 32 वर्ष अंकित करते हुए उक्त भू भाग पर मकान बना होकर 60 साल से कब्जा होना उल्लेखित किया है । विपक्षी सं. 01 के पिता नंदकिशोर ने उक्त मिसल में शपथ पत्र पेश किया जिसमें स्वयं की उम्र 61 वर्ष बतायी है और पटटा उसके पुत्र विपक्षी सं. 01 के नाम पंचायत से जारी कराना चाहा है । इस प्रकार तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड पर कोई पक्का मकान निर्मित नही है और विपक्षी सं. 01 का 60 वर्षों से कब्जा होना भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि विपक्षी सं. 01 के पिता की आयु 61 वर्ष है तो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि एक वर्ष का बच्चा भूखण्ड पर काबिज हो । विपक्षी सं. 02 ने प्रश्नगत पटटा जारी करने से पूर्व विधि के समादेशात्मक उपबंध नियम 140 से लगायत 157 तक के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और विपक्षी सं. 01 को अनुचित रूप से अनुगृहीत करने की नीयत से उक्त पटटा जारी किया है जो खारिज किया जाना चाहिये। उक्त विवादित पटटे में सिर्फ सरपंच विमला के हस्ताक्षर है और पंचायत के सचिव के कहीं पर भी पटटे पर हस्ताक्षर नहीं है । उक्त वर्णित पंचायत की मिसल में किसी वार्ड पंच के हस्ताक्षर नहीं है और इस प्रकार तथ्यों से ही निर्विवाद रूप से स्थापित है कि विपक्षी सं. 2 के सरपंच ने विपक्षी सं. 01 से मिलीभगत, साठगांठ कर उक्त विवादित पटटा जारी किया जो निरस्त योग्य है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा आबादी मिसल सं. 1/2068 से विपक्षी सं. 01 के पक्ष में किये गये भूखण्ड , पटटा

दिनांक 21.12.2013 व इससे संबंधित सारी कार्यवाही को निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 26.05.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया

गैर निगराकारान 01 की ओर से निगराकार की निगरानी के खण्डन में दिनांक 01.06.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि निगरानी के चरण सं. 01 में वर्णित तथ्य जायदाद पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है व न ही प्रार्थी का पुश्तैनी नोहरा है । विपक्षी जवाबदाता द्वारा विधिवत आवेदन पेश किया गया , जिसमें विपक्षी सं. 02 ने विधिवत जांच पडताल कर पटटा जारी किया जो कि प्रार्थी के नोहरे का कोई भू भाग नहीं होकर विपक्षी जवाबदाता का पुश्तैनी होकर विपक्षी बहैसियत मालिक काबिज है । विपक्षी सं. 02 द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों के नियम 148 की पालना की गयी व विधिवत आपत्ति आमंत्रण की गयी । उक्त भू भाग विपक्षी जवाबदाता का पुश्तैनी होकर विपक्षी काबिज है व अपने मवेशी आदि बांधता है । प्रार्थी ने अपने भाई के पटटे पर भी आपत्ति लगा रखी है व नाजायज परेशान कर रखा है व कई व्यक्तियों के पैसे खाकर दिवालिया घोषित होने का नाटक भी किया है । विपक्षी का कब्जा होने बाबत् फोटोग्राफ व पडौसीयान के शपथपत्र पेश है । अतः निवेदन है कि विपक्षी जवाबदाता का जवाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की निगरानी सव्यय खारिज फरमायी जावें।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार , गैर निगराकार व राजकीय अभिभाषक के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत निगरानी के बिन्दु सं. 1 से लगायत 10 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विवादित आदेश दिनांक 20.12.2013 को अपास्त किया जावे । विपक्षी सं. 01 के पिता नंदकिशोर ने उक्त मिसल में शपथ पत्र पेश किया जिसमें स्वयं की उम्र 61 वर्ष बतायी है और पटटा उसके पुत्र विपक्षी सं. 01 के नाम पंचायत से जारी कराना चाहा है । इस प्रकार तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड पर कोई पक्का मकान निर्मित नही है और विपक्षी सं. 01 का 60 वर्षों से कब्जा होना भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि विपक्षी सं. 01 के पिता की आयु 61 वर्ष है तो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि एक वर्ष का बच्चा भूखण्ड पर

काबिज हो । विपक्षी सं. 02 ने प्रश्नगत पटटा जारी करने से पूर्व विधि के समादेशात्मक उपबंध नियम 140 से लगायत 157 तक के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और विपक्षी सं. 01 को अनुचित रूप से अनुगृहीत करने की नीयत से उक्त पटटा जारी किया है जो खारिज किया जाना चाहिये। उक्त विवादित पटटे में सिर्फ सरपंच विमला के हस्ताक्षर है और पंचायत के सचिव के कहीं पर भी पटटे पर हस्ताक्षर नहीं है । गैर निगराकार के पक्ष में पटटा जारी करने से पूर्व पुराना कब्जा साबित करना होता है । जिसके संबंध में ग्राम पंचायत कोटडी की पत्रावली में इस संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है ।उक्त वर्णित पंचायत की मिसल में किसी वार्ड पंच के हस्ताक्षर नहीं है और इस प्रकार तथ्यों से ही निर्विवाद रूप से स्थापित है कि विपक्षी सं. 2 के सरपंच ने विपक्षी सं. 01 से मिलीभगत, साठगांठ कर उक्त विवादित पटटा जारी किया जो निरस्त योग्य है । निगराकार ने निगरानी के पक्ष में DNJ-2012-3-Raj-1399 , 2010 (4) –R.L.W.-3575(Raj.) , 2008 (3) –DNJ (Raj)-1627, 2015 (1)-DNJ-443, 2015 (2)-DNJ(Raj) 595 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी सं. 02 ने विधिवत जांच पडताल कर पटटा जारी किया जो कि प्रार्थी के नोहरे का कोई भू भाग नहीं होकर विपक्षी का पुश्तैनी होकर विपक्षी बहैसियत मालिक काबिज है । विपक्षी सं. 02 द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों के नियम 148 की पालना की गयी व विधिवत आपत्ति आमंत्रण की गयी । उक्त भू भाग विपक्षी का पुश्तैनी होकर विपक्षी काबिज है व अपने मवेशी आदि बांधता है । उक्त भू भाग पर निगराकार का कोई हक हिस्सा नहीं है । उक्त जारी किया गया पटटा नियमानुसार जारी किया गया है । अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी सव्यय खारीज फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र के आरोपों में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत कोटड़ी के मिसल सं. 1/2068 प्रस्ताव सं. 02 के अनुसार जारी पटटा दिनांक 20.12.2013 पर सिर्फ अकेले सरपंच विमला के हस्ताक्षर है और पंचायत सचिव के कहीं पर भी पट्टे पर हस्ताक्षर नहीं है । इसी प्रकार उक्त पंचायत की मिसल में किसी वार्ड पंच के हस्ताक्षर नहीं है । ग्राम पंचायत कोटडी की पत्रावली के परीक्षण से प्रकट होता है कि निगरानी के साथ पट्टा दिनांक 20.12.2013 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। इस सत्यापित प्रति में ग्राम पंचायत कोटडी के पटटा दिनांक 20.12.2013 पर

केवल सरपंच के हस्ताक्षर है , सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के जवाब दिनांक 01.06.2016 के साथ संलग्न दस्तावेज में पट्टा दिनांक 20.12. 2013 में ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत कोटडी एवं सरपंच , ग्राम पंचायत कोटडी दोनों के हस्ताक्षर है एवं पट्टा दिनांक 20.12.2013 के पट्टा विलेख दिनांक 7.02.2014 पर एवं रजिस्टर्ड दिनांक 20.02.2014 पट्टा विलेख पर सचिव ग्राम पंचायत कोटडी के हस्ताक्षर है । ग्राम पंचायत कोटडी की मिसल सं. 1/2068 निर्णित दिनांक 20.12.2013 की कार्यवाही पर वार्ड पंचों के भी हस्ताक्षर भी है एवं नक्शा आबादी भूमि पर ग्राम सेवक पदेन सचिव ,ग्राम पंचायत कोटडी एवं सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी के हस्ताक्षर है । गैर निगराकार द्वारा पुश्तैनी मकान का पटटा दिलाने के प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिनांक 31.01.2014 का पेश किया है उसमें ग्राम कोटडी के अन्दर हल्का आबादी में विगत 60 वर्ष से आबादी भूमि पर गैर निगराकार व गैर निगराकार के परिजनों का कब्जा होना अंकित किया है । उक्त पटटे के पंजीयन दिनांक 20.02.2014 पर सचिव ग्राम पंचायत कोटडी के हस्ताक्षर है , जबकि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी पटटे को दिनांक 20. 02.2014 को रजिस्टर्ड करवाया गया है । गैर निगराकार परमेश्वरलाल पिता नंदकिशोर सोनी निवासी कोटडी के पक्ष में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पटटा दिनांक 20.12.2013 का पंजीयन दिनांक 20.02.2014 को हो चुका है । निगराकार के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है । ग्राम पंचायत कोटडी की पत्रावली सं. 1/2068 परमेश्वर लाल आत्मज नन्दकिशोर स्वर्णकार निवासी कोटडी निर्णय दिनांक 20.12.2013 में पटटा जारी करने की प्रकिया ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पूर्ण की गयी है । इसके पश्चात ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा दिनांक 20.12.2013 को गैर निगराकार के पक्ष में पटटा जारी किया एवं इस पटटे का विधिवत् प्रकिया अनुसार दिनांक 20.02.2014 को पंजीयन भी करवाया जा चुका है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कोटडी की पत्रावली सं. 1/2068 निर्णय दिनांक 20.12.2013 में पटटा जारी करने की प्रकिया पूर्ण होने एवं पटटे का रजिस्टर्ड होने से निगराकार की निगरानी अस्वीकार ठहरती है । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत कोटडी बमामले मिसल सं. 01/2068 आदेश दिनांक 20.12. 2013 के संबंध में निगरानी में प्रस्तुत आरोपों का ग्राम पंचायत कोटडी की उक्त पत्रावली के

परीक्षण पर यह पाया गया कि पटटे के पंजीयन दिनांक 20.02.2014 पर सचिव ग्राम पंचायत कोटडी के हस्ताक्षर है,| गैर निगराकार परमेश्वरलाल पिता नंदकिशोर सोनी निवासी कोटडी के पक्ष में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी पटटा दिनांक 20.12.2013 का ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा दिनांक 20.02.2014 को पंजीयन करवाया जा चुका है । प्रस्तुत निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेज में पट्टा दिनांक 20.12.2013 में ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत कोटडी एवं सरपंच , ग्राम पंचायत कोटडी दोनों के हस्ताक्षर है एवं पट्टा दिनांक 20.12.2013 के पट्टा विलेख दिनांक 7.02.2014 पर एवं पट्टा विलेख रजिस्टर्ड दिनांक 20.02.2014 पर सचिव ग्राम पंचायत कोटडी के हस्ताक्षर है । ग्राम पंचायत कोटडी की मिसल सं. 1/2068 निर्णित दिनांक 20.12.2013 की कार्यवाही पर वार्ड पंचों के भी हस्ताक्षर भी है एवं नक्शा आबादी भूमि पर ग्राम सेवक पदेन सचिव ,ग्राम पंचायत कोटडी एवं सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी के हस्ताक्षर हैं । ग्राम पंचायत कोटडी की पत्रावली सं. 1/2068 परमेश्वर लाल आत्मज नन्दकिशोर स्वर्णकार निवासी कोटडी निर्णय दिनांक 20.12.2013 में पटटा जारी करने की प्रकिया ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पूर्ण की गयी है । इसके पश्चात ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा दिनांक 20.12.2013 को गैर निगराकार के पक्ष में पटटा जारी किया एवं इस पटटे का विधिवत् प्रकिया अनुसार दिनांक 20.02.2014 को पंजीयन भी करवाया जा चुका है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कोटडी की पत्रावली सं. 1/2068 निर्णय दिनांक 20.12.2013 में पटटा जारी करने की प्रकिया पूर्ण होने एवं पटटे का रजिस्टर्ड होने से निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है । तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति के अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.02.17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा